

प्रेस,

अधिकारी वक्तु गुरु
मन्त्री विषय
उत्तरांश दाखल ।

सेवा में

विषय
विषय काम किए गए विषय
विषय काम किए गए विषय
विषय काम किए गए ।

शिक्षा । ७। अनुभाग

लड़नऊः दिनांक: ॥ ५। २०२

विषय:- लग्जीय शोहरी वाराणसी की शोहरीयाँ की विद्यालयों से छुट्टी दें
अनावरित प्रश्न पर उत्तर दें वारे के लिए है ।

महोदय,

वाराणसी विद्या पर उत्तर दें वारे का विद्यालय के लिए लग्जीय
शोहरी वाराणसी की शोहरीयाँ विद्यालय की दिल्ली है

तबूता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार की निम्नलिखित
प्रतिक्रिया के अधीन अनापत्ति नहीं है :-

- 1। विद्यालय की पंजीकृत संस्थानियों का सम्बन्ध-सम्बन्ध पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 2। विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सक सदस्य होयेगा ।
- 3। विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के बच्चों के लिये सुरक्षित रहेंगे और उनसे ३०४०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संघानित विद्यालयों में विभिन्न लक्षांगों के लिए निर्धारित गुलक तें अधिक गुलक नहीं लिया जायेगा ।
- 4। संतथा द्वारा राज्य सरकार से जिसी अनुदान की माँग नहीं ही जापेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् अथवा बौतिल शिक्षा परिषद् से प्राप्त होती है तथा विद्यालय की तबूता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्/बौतिल फार द्वि इण्डियन स्कूल सर्टीफिल इकजार्फिल नईदिली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा वर्ष से उक्त केन्द्रीय प्रारिषद् की तबूता प्राप्त होने ली जायेगी से ३०४०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा ।

- 151 श्रीमद्भैरव देवोंका इन्द्रियों के उचित न करता द्वारा द्वारा द्विष्ट गीष्माओं के इन्द्रियों का उत्पन्न तत्त्वाओं तथा उन्हें भले ही स्वयं लेनेवाले तथा उन्हें भले ही नहीं हिते जाते ।
- 161 इन्द्रियों के लेना जीव सभी अवैति और उन्हें बहावता द्वारा उपासनीय उत्तमार प्राप्तिक विषयों के इन्द्रियों के उत्पन्न लेनानिवृत्ति का एवं उद्देश्य लगते जाते ।
- 171 राज्य तरकार द्वारा तका-सका वर जो भी आदेत निष्ठा जीव जाती है तैवा उनका वासन छहने ।
- 181 विषय का रिकार्ड निधारित प्रधार/प्रज्ञात्रों में रखा जायेगा ।
- 191 उक्त शर्तों वे राज्य तरकार उ पूर्णनियोगन के लिए होई परिवर्तन/प्रशोधन/परिवर्तन नहीं लिया जायेगा ।
- 2- उक्त प्रतिक्षय का पातन इसका तत्त्व के लिये प्रतिक्षय होगा और यदि लिया जा रहा है उक्ता पातन इसे मैं जिसी प्रकार ही पूछ दा जिकिता बताती जा रही है तो राज्य तरकार द्वारा प्रदत्त उत्तमता प्रमाण पत्र वापस ने लिया जायेगा ।

मण्डीय,

**मण्डेश्वर द्वारा ।
मुख्यमंत्री ।**

३०५०- १२२१

११/१५-७-न्दृटिनाथ

प्रतिक्षय निम्नलिखित जो तृक्वार्थ एवं आवश्यक जारीवाही द्वा प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- महानीय संस्कृत शिक्षा निदेशक, **काशीमहार्षी ।**
- 3- किंवा विषयालय निरीक्षक, **काशीमहार्षी ।**
- 4- निरीक्षक, अखिल भारतीय विषयालय, उ०५०, लखनऊ ।
- 5- प्रबोधक, **काशीव विषयक काशीमहार्षी ।**
- 6- शार्दूल बुङ ।

उत्तरांश,

मण्डेश्वर द्वारा ।